न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 1173 सन 2020
अनवान :–

1. राजपाल पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कृष्ण पुत्र हजारी जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 05/07/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 99/91 के खसरा न0 487/1 की 1.7700हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो सगे भाई है प्रतिवादी संख्या 1 वादी के ताउ नन्दराम के खोले चला गया हजारी व नन्दराम दोनेा सगे भाई है प्रतिवादी संख्या 1 को नन्दराम ने खोले ले लिया तथा दिनांक 16.06.1994 को खोलानामा उप पंजीयक कार्यालय नोहर से तस्दीक करवा लिया ।

प्रतिवादी संख्या 1 नन्दराम का खोलायत पुत्र है एवं नन्दराम की भूमि का खातेदार काश्तकार है प्राकृतिक पिता हजारी की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक हिस्सा नही रहा है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने हजारीराम की भूमि को अपने नाम से दर्ज करवा लिया जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को हजारी की भूमि में कोई हक हिस्सा नही है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है।

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है जिसे अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है वादी के हक हिस्सा की भूमि वादी के नाम दर्ज नही होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता हे वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का भाई है के नाम से दर्ज भूमि को वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वह नन्दराम का खोलायत पुत्र है प्राकृतिक पिता की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हो गई जबकि नन्दराम के खोले जाने के कारण हजारीराम की भूमि में उसका कोई हक हिस्सा नही है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया जो शामिल मिसल है प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 99/91 के खसरा न0 487/1 की 1.7700हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो सगे भाई है प्रतिवादी संख्या 1 वादी के ताउ नन्दराम के खोले चला गया हजारी व नन्दराम दोनो सगे भाई है प्रतिवादी संख्या 1 को नन्दराम ने खोले ले लिया तथा दिनांक 16.06.1994 को खोलानामा उप पंजीयक कार्यालय नोहर से तस्दीक करवा लिया ।

प्रतिवादी संख्या 1 नन्दराम का खोलायत पुत्र है एवं नन्दराम की भूमि का खातेदार काश्तकार है प्राकृतिक पिता हजारी की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक हिस्सा नही रहा है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने हजारीराम की भूमि को अपने नाम से दर्ज करवा लिया जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को हजारी की भूमि में कोई हक हिस्सा नही है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वह नन्दराम का खोलायत पुत्र है हजारीराम की भूमि में कोई हक हिस्सा नही है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उसके नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 99/91 के खसरा न0 487/1 की 1.7700हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी का भाई है और हजारीराम का पुत्र है नन्दराम व हजारीराम दोनो भाई है प्रतिवादी संख्या 1 नन्दराम का खोलायत पुत्र है इसलिये उसका हजारीराम की भूमि में कोई हक हिस्सा नही है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनो को स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 99/91 के खसरा न0 487/1 की 1.7700हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 05/7/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. राजपाल पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 कृष्ण पुत्र हजारी जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1173 सन 2020 निर्णय दिनांक– 05/07/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 99/91 के खसरा न0 487/1 की 1.7700हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/07/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner